

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

लेटर्स पेटेंट अपील सं० 1740/2012

दीवानी याचिका अधिकारिता वाद संख्या-2323/2012 में

=====

डॉ. श्यामल किशोर सिंह, पुत्र- शाहदेव प्रसाद सिंह, निवासी मोहल्ला न्यू बलभद्रपुर, (रामानंद पथ), पोस्ट और थाना- लहेरिया सराय, जिला दरभंगा

..... अपीलार्थी

बनाम्

1. बिहार राज्य, द्वारा प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
4. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
5. भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अपने अध्यक्ष, ऐवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली-2

..... प्रतिवादीगण

=====

बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग और संवर्ग पद चयन भर्ती नियम, 1997-नियम 5 (के. ए.)- बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग और बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग दो अलग-अलग संवर्ग हैं-संवर्ग में उपलब्ध पदों को आवश्यक योग्यता और अनुभव के अनुसार भरा जाएगा-पदोन्नति के अवसरों के मामले में कोई अस्पष्टता नहीं बची है-याचिकाकर्ता स्वीकार करता है कि शिक्षण पद पर नहीं है- उसके साथ ऐसा व्यवहार करने का दावा नहीं कर सकता है जैसे कि बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग में शिक्षण पद पर होना-मंडमस की रिट को वैधानिक नियमों के विपरीत जारी नहीं किया जा सकता है-1997 के नियमों को चुनौती नहीं दी गई है। (पैरा-12,13)

सहायक नैदानिक रोगविज्ञानी के रूप में नियुक्त याचिकाकर्ता जो शिक्षण पद पर नहीं है, वह बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अंतर्गत नहीं आता है और सहायक प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति का हकदार नहीं है- विद्वत रिट न्यायालय के क्रम में कोई अवैधता/दुर्बलता नहीं है। रिट कोर्ट-योग्यता के बिना एल. पी. ए. को खारिज कर दिया जाता है। (पैरा-15,16)

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

लेटर्स पेटेंट अपील सं० 1740/2012

दीवानी याचिका अधिकारिता वाद संख्या-2323/2012 में

=====

डॉ. श्यामल किशोर सिंह, पुत्र- शाहदेव प्रसाद सिंह, निवासी मोहल्ला न्यू बलभद्रपुर, (रामानंद पथ), पोस्ट और थाना- लहेरिया सराय, जिला दरभंगा

..... अपीलार्थी

बनाम्

1. बिहार राज्य, द्वारा प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
4. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
5. भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अपने अध्यक्ष, ऐवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली-2

..... प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए : श्री अमरेंद्र नारायण अधिवक्ता,

राज्य के लिए : श्री कुमार आलोक, एस. सी. 8

एम. सी. आई. के लिए : श्री कुमार बृजनंदन, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

तारीख:09-04-2018

इस लेटर्स पेटेंट अपील में 2012 के दीवानी याचिका अधिकारिता वाद संख्या 2323 में विद्वान रिट न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 06.07.2012 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा विद्वान रिट न्यायालय ने प्रतिवादी प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा पारित दिनांक 13.09.2011 के आदेश (रिट आवेदन के अनुलग्नक-14) को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा पैथोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर उनकी पदोन्नति के लिए किए गए अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आदेश को रद्द करने के लिए इस अदालत का रुख किया, जैसा कि अनुलग्नक-14 में मुख्य रूप से इस आधार पर निहित है कि डॉ. मनोरमा मिश्रा और डॉ. आर. पी. अग्रवाल जैसे व्यक्तियों को 2005 की सी.डब्ल्यू.जे.सी संख्या 6386 में पारित दिनांक 16.07.2007 आदेश के अनुसार पदोन्नति दी गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनके साथ डॉ. मनोरमा मिश्रा और डॉ. आर. पी. अग्रवाल जैसा व्यवहार करते हुए, उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे सहायक नैदानिक रोगविज्ञानी के रूप में उनकी सेवा के पांच साल पूरे होने पर उन्हें प्रासंगिक तिथि से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत करें और उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर उनकी सेवा में चार साल पूरे होने पर उन्हें प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत करें। उन्होंने आगे दिनांक 25.03.2008 की

वरिष्ठता सूची को रद्द करने और राज्य के मेडिकल कॉलेजों में विभाग के एसोसिएट प्रोफेसरों और प्रोफेसरों की सूची में उनका नाम शामिल करके इसे संशोधित करने का अनुरोध किया है।

3. विद्वत रिट न्यायालय ने याचिकाकर्ता के सेवा इतिहास पर ध्यान दिया और पाया कि विज्ञापन (जवाबी हलफनामे में याचिकाकर्ता के जवाब के साथ अनुलग्नक-16) के अनुसार याचिकाकर्ता का नाम पैनल में पाया गया और अंत में उन्हें दिनांक 30.12.1987 की अधिसूचना (रिट आवेदन के अनुलग्नक-2) की अधिसूचना के माध्यम से सहायक नैदानिक रोगविज्ञानी के रूप में नियुक्त किया गया। अधिसूचना में ही यह प्रावधान है कि संबंधित व्यक्ति अपने स्वयं के वेतन के अलावा शिक्षण के लिए अतिरिक्त भत्ते का हकदार होगा। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि पहले दिन से ही याचिकाकर्ता की सेवा का उपयोग चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी किया गया था।

4. विद्वत रिट न्यायालय ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर भी ध्यान दिया कि डॉ. मनोरमा मिश्रा, जिन्हें पी.एम.सी.एच में सहायक नैदानिक रोगविज्ञानी के रूप में तैनात किया गया था, पहली बार में सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले कनिष्ठ व्यक्तियों के नियंत्रण में तैनात किया गया था, इस अदालत में सी.डब्ल्यू.जे.सी 7033/1998 में उनकी पोस्टिंग को चुनौती देने पर, इस न्यायालय ने रिट आवेदन के अनुलग्नक-8 में निहित दिनांक 01.03.2000 के आदेश के माध्यम से रिट आवेदन का निपटान इस निष्कर्ष के साथ किया कि सहायक नैदानिक रोगविज्ञानी का पद नियमों के तहत एक संवर्ग पद नहीं हो सकता है, लेकिन एक पूर्व संवर्ग शिक्षण पद था। हालांकि, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत होने के उनके दावे के संबंध में, अदालत ने मामले को प्रतिवादियों द्वारा विचार के लिए भेज दिया और उन्हें इस मामले में भारतीय चिकित्सा परिषद से आवश्यक निर्देश/दिशानिर्देश प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

5. भारतीय चिकित्सा परिषद ने अपने पत्र दिनांकित 07.02.2006 (अनुलग्नक-9) के माध्यम से प्रस्तुत किया कि शिक्षक पात्रता योग्यता उप-समिति ने 26.05.2005 को आयोजित अपनी बैठक में याचिकाकर्ता (डॉ. मनोरमा मिश्रा) के मामले पर विचार किया और पाया कि एक अस्पताल में सहायक नैदानिक रोगविज्ञानी के पद की तुलना किसी चिकित्सा महाविद्यालय में किसी भी शिक्षण पद के साथ नहीं की जा सकती क्योंकि ये दोनों अलग-अलग संस्थाएं थीं। उप समिति के उक्त प्रस्ताव को परिषद की कार्यकारी समिति द्वारा 13.08.2005 को अनुमोदित किया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, डॉ. मनोरमा मिश्रा के प्रतिनिधित्व को प्रधान सचिव द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने 2005 के सी.डब्ल्यू.जे.सी संख्या 6386 में फिर से इस अदालत का रुख किया। उक्त लिखित आवेदन का निपटारा इस न्यायालय द्वारा 16.07.2007 (अनुलग्नक-10) को किया गया था। यह मानते हुए कि डॉ. मनोरमा मिश्रा द्वारा आयोजित सहायक नैदानिक रोगविज्ञानी का पद एक पूर्व-कैंडर शिक्षण पद था, अंतिम हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त डॉ. मनोरमा मिश्रा द्वारा लाई गई अवमानना कार्यवाही के दौरान विभागीय पदोन्नति समिति ने डॉ. मनोरमा मिश्रा की योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनके मामले को व्याख्याता के रूप में माने जाने की सिफारिश की थी और इसलिए इस पद को सहायक प्रोफेसर के समकक्ष के रूप में मान्यता दी जा रही थी। पाँच साल के शिक्षण अनुभव के पूरा होने पर, उनके पद को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एसोसिएट प्रोफेसर के पद के रूप में 23.10.1984 से उन्नत माना गया और उन्हें पदोन्नत किया गया। फिर से उक्त तिथि से उनकी चार साल की सेवा को गिनते हुए, इस पद को 23.10.1988 से प्रोफेसर के समकक्ष के रूप में उन्नत माना जा रहा था और उन्हें इस तरह पदोन्नत किया जा रहा था। उक्त पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि जिस पद का उन्नयन किया जा रहा है, वह उनकी सेवानिवृत्ति पर सहायक नैदानिक रोगविज्ञानी के पद पर वापस आ जाएगा और इसे किसी अन्य मामले के लिए एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।

6. इस याचिकाकर्ता ने पहले 2005 के सी.डब्ल्यू.जे.सी संख्या 13875 में इस न्यायालय का रुख किया था, जिसका निपटारा दिनांक 07.03.2011 के आदेश (अनुलग्नक-12) के माध्यम से उत्तरदाताओं को इस निर्देश के साथ किया गया था कि यदि याचिकाकर्ता का मामला डॉ मनोरमा मिश्रा और डॉ आर.पी.अग्रवाल के मामले के समान पाया गया। और यदि नियम इसकी अनुमति देता है, तो उसे भी वही लाभ दिए जाने चाहिए। हालाँकि, याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को विभाग के प्रधान सचिव का समर्थन नहीं मिला और इसे रिट आवेदन के अनुलग्नक-14 के माध्यम से खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा लाए गए अवमानना आवेदन का निपटारा उन्हें प्रधान सचिव के उक्त आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता देने के लिए किया गया था।

7. याचिकाकर्ता के तथ्यों और दलीलों पर ध्यान देने के बाद, विद्वान रिट न्यायालय ने डॉ. मनोरमा मिश्रा और डॉ. आर. पी. अग्रवाल के मामले को अलग किया। हम संक्षिप्तता के लिए इस स्तर पर ऐसे कारणों में नहीं जाते हैं क्योंकि रिट आदेश में किए गए भेद को हमारे समक्ष अपील में किसी भी ठोस आधार पर गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई है। सिवाय इसके कि याचिकाकर्ता बार-बार यह तर्क दे रहा था कि समान रूप से स्थित व्यक्तियों को लाभ दिया गया है, उस नियम के खिलाफ कोई कानूनी और वैध विवाद नहीं है जो प्रकृति में वैधानिक है और जिसे राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997 में पहली बार एक शिक्षण संवर्ग बनाने के लिए बनाया गया था। यह नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया था। नियम 5 (के. ए.) स्पष्ट रूप से चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग की संरचना प्रावधानित करता है और इसमें चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग में पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। विद्वान रिट न्यायालय ने कहा कि 1997 के नियमों द्वारा, जो एक वैधानिक नियम था, चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षण पद को स्वतंत्र और गैर-शिक्षण पदों से अलग संवर्ग के रूप में अलग किया गया था और पदों पर योग्यता और नियुक्ति का तरीका निर्धारित किया गया था। याचिकाकर्ता की मूल नियुक्ति चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़े अस्पताल में थी न कि महाविद्यालय में और इस तरह, विद्वान रिट

कोर्ट के अनुसार, यह पद चिकित्सा महाविद्यालयों में नियमों द्वारा पहचाने गए पदों के शिक्षण संवर्ग में शामिल नहीं था। भारतीय चिकित्सा परिषद ने याचिकाकर्ता के संबंध में अनुलग्नक-9 के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अस्पताल में सहायक नैदानिक रोगविज्ञानी के पद को चिकित्सा महाविद्यालय में किसी भी शिक्षण पद के बराबर नहीं माना जा सकता है। विद्वान रिट न्यायालय ने इसलिए याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि केवल इसलिए कि वह उस महाविद्यालय में छात्रों को पढ़ाता था जिसके लिए उसे अतिरिक्त भत्ता दिया जा रहा था/दिया जा रहा था, यह नहीं माना जा सकता है कि पद स्वचालित रूप से एक शिक्षण पद में परिवर्तित हो गया था।

8. इसके अलावा, विद्वत रिट न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि भले ही डॉ. मनोरमा मिश्रा के मामले में दिनांक 01.03.2000 के आदेश में इस अदालत का निष्कर्ष पारित किया गया हो, जिसमें कहा गया है कि सहायक नैदानिक रोगविज्ञानी का पद एक पूर्व-संवर्ग शिक्षण पद था, स्वीकार किया जाता है, यह याचिकाकर्ता को लाभान्वित नहीं कर सकता है क्योंकि नियमों के लागू होने के बाद, पूर्व-संवर्ग पद से संवर्ग पद पर कोई पदोन्नति नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, उक्त निष्कर्ष केवल दो दस्तावेजों और जवाबी हलफनामे में उत्तरदाताओं के कुछ बयानों के आलोक में और 1997 के नियम लागू होने से पहले की स्थिति की पृष्ठभूमि में दिया गया था। रिट अदालत ने रिट आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक बार कानूनी नियम लागू हो जाने के बाद, यह न्यायालय प्रतिवादियों को 1997 के नियमों से पहले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश नहीं दे सकता है।

9. विद्वत रिट न्यायालय के विवादित फैसले पर हमला करते हुए, याचिकाकर्ता-अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वत वकील ने एक बार फिर हमें डॉ. मनोरमा मिश्रा के मामले में पारित इस न्यायालय के फैसले के माध्यम से ले जाने का प्रयास किया है, विद्वत वकील के तर्क का पूरा जोर इस तथ्य पर है कि याचिकाकर्ता-अपीलार्थी स्वीकार्य रूप से शिक्षण कार्य में शामिल था और एक बार जब वह शिक्षण कार्य

में शामिल हो जाता है, तो उसके द्वारा आयोजित पद एक शिक्षण पद बन जाता है और इसलिए डॉ. मनोरमा मिश्रा की तरह याचिकाकर्ता को पदोन्नति का लाभ देने के लिए उसे उन्नत करने की आवश्यकता हो सकती है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी पैथोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का पदोन्नति पद प्राप्त करने के लिए सभी मानदंडों को पूरा करता है और इसलिए, उसके मामले को सहायक प्रोफेसर और फिर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि वर्ष 1998 में नामित सहायक प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों की एक संयुक्त वरिष्ठता और श्रेणीकरण सूची तैयार की गई थी जिसमें अपीलार्थी को सूची में क्रम संख्या 45 पर दिखाया गया था, जिसमें उन्हें 30.12.1990 से सहायक प्रोफेसर के रूप में तैनात किया गया था, हालांकि उनकी ऐसी पोस्टिंग 30.12.1987 से प्रभावी होनी चाहिए, यानी उस तारीख से जब अपीलार्थी को सहायक नैदानिक रोगविज्ञानी के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका दावा है कि संयुक्त वरिष्ठता-सूची में उनकी नियुक्ति उनकी वरिष्ठता के अनुसार क्रम संख्या 13-डॉ. रजनी रंजन सिन्हा और क्रम संख्या 14-डॉ. बैद्यनाथ ठाकुर के बीच हुई होगी। उन्होंने इसके खिलाफ प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन उन्हें सही स्थिति में रखने के बजाय, इसे लंबित रखा गया था और अपीलार्थी का नाम उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के हस्ताक्षर के तहत प्रकाशित एसोसिएट शिक्षण व्यक्तियों की श्रेणीकरण सूची में शामिल नहीं किया गया था।

10. जब मामला 23.11.2017 को सूचीबद्ध किया गया था, तो इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ जिसमें हममें से एक (न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद) एक पक्षकार थे, जिन्होंने याचिकाकर्ता को स्पष्ट अधिसूचना और सबूत पेश करने का निर्देश दिया कि जिस प्रारंभिक नियुक्ति पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति की गई थी, वह एक शिक्षण पद था, जिससे उन्हें भविष्य में पदोन्नति मिल सकती है। याचिकाकर्ता ऐसी कोई अधिसूचना और साक्ष्य दर्ज करने में असमर्थ है जो यह दर्शाता है कि सहायक नैदानिक रोगविज्ञानी का पद एक शिक्षण पद था।

11. इसके विपरीत, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने 21 मई, 1997 की अधिसूचना की एक प्रति हमारे सामने प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग और संवर्ग पद चयन भर्ती नियम, 1997 (इसके बाद नियम 1997) को अस्तित्व में लाया गया है। विद्वान वकील ने नियम 5 (के. ए.) को यह दिखाने के लिए संदर्भित किया है कि 1 अप्रैल, 1997 से नियम बिहार चिकित्सा शिक्षा के लिए एक अलग संवर्ग का प्रावधान करता है और अब 1997 के नियम के आधार पर दो संवर्ग यानी नैदानिक और गैर-नैदानिक संवर्ग हैं। हमारा ध्यान नियम 5 (जी. ए.) की ओर भी आकर्षित किया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि जो अधिकारी बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में लौटने के इच्छुक थे, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में विकल्प देने का अवसर दिया गया था, जो चिकित्सा सेवा संवर्ग में थे, वे बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग का विकल्प चुन सकते थे, लेकिन इसके विपरीत नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक 2012 का वर्तमान याचिकाकर्ता का सवाल है, वह एक शिक्षण पद पर नहीं था, जैसा कि नियम 5 (का) के तहत प्रदान किया गया था और इसलिए, उसके लिए कोई विकल्प नहीं था, वह बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में बना रहा।

12. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद और अभिलेखों, विशेष रूप से 1997 के नियमों, जिन्हें हमारे संज्ञान में लाया गया है, के अवलोकन पर, हमारी राय है कि 1997 के नियमों के लागू होने के बाद, उन लोगों के लिए पदोन्नति के अवसरों के मामले में कोई अस्पष्टता नहीं रही जो एक ओर शिक्षण पदों पर थे और बिहार चिकित्सा शिक्षा संवर्ग में बने रहे और जो बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में बने रहे। चिकित्सा महाविद्यालयों में जो पद उपलब्ध थे, वे 1997 के नियमों के नियम 5 (के. ए.) में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए हैं। इसमें निदेशालय में उपलब्ध पदों का भी प्रावधान है जिन्हें चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग से भरा जाना था। 1997 के नियमों ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग और बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग दोनों दो अलग-अलग संवर्ग होंगे और संवर्ग में उपलब्ध पदों को अपेक्षित योग्यता और अनुभव के अनुसार भरा जाएगा।

13. 1997 के नियमों के आधार पर, याचिकाकर्ता-अपीलार्थी, जो स्वीकार्य रूप से एक शिक्षण पद पर नहीं थे, यह दावा नहीं कर सकते कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे कि वे बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग में शिक्षक पद पर हों। डॉ. मनोरमा मिश्रा और डॉ. आर. पी. अग्रवाल के मामले में अंतर करने में विद्वान रिट न्यायालय सही है। याचिकाकर्ता को इस तथ्य से कोई लाभ नहीं मिल सकता है कि डॉ. मनोरमा मिश्रा और डॉ. आर. पी. अग्रवाल, जिन्हें सहायक नैदानिक रोगविज्ञानी के रूप में भी नियुक्त किया गया था, को पदोन्नति का लाभ दिया गया था क्योंकि हमारी सुविचारित राय में, वैधानिक नियमों के विपरीत अनिवार्य आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता-अपीलार्थी ने 1997 के नियमों (अद्यतित संशोधित) को चुनौती नहीं दी है और इसलिए, उसे यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि यह न्यायालय प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ता को एक शिक्षण पद धारण करने के रूप में मानने का निर्देश देने के लिए एक आदेश जारी कर सकता है जो 1997 के वैधानिक नियमों के विपरीत होगा।

14. अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों से हमें यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता के अनुसार शुरू में उन्हें नामित सहायक प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों की संयुक्त श्रेणीकरण सूची में रखा गया था, उन्होंने उन्हें श्रेणीकरण सूची में एक निश्चित स्थान पर रखने के लिए एक अभ्यावेदन दिया था, लेकिन उनके अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया था, बल्कि उनका नाम ही श्रेणीकरण सूची से हटा दिया गया था। उक्त श्रेणीकरण सूची अंततः 25.03.2008 को प्रकाशित की गई। हालाँकि, याचिकाकर्ता को इस संबंध में कोई राहत नहीं मिली। पहले दौर में जब याचिकाकर्ता ने 2005 के आई. डी. 1. संख्या 13875 में इस न्यायालय का रुख किया, तो विद्वत रिट न्यायालय ने न्यायालय के समक्ष अनुरोध किए गए तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए प्रतिवादी प्रधान सचिव को याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया और यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि यदि यह पाया जाता है कि उसका मामला डॉ. मनोरमा मिश्रा और डॉ. आर. पी. अग्रवाल के समान है, और यदि नियम इसकी अनुमति देते हैं, तो उसे वही लाभ

दिया जाना चाहिए। 2005 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 13875 में पारित आदेश के संचालन भाग से यह स्पष्ट है कि विद्वान रिट न्यायालय ने प्रतिवादी अधिकारियों को न केवल याचिकाकर्ता के मामले में डॉ. मनोरमा मिश्रा और डॉ. आर. पी. अग्रवाल के मामले में समानता पर विचार करने का निर्देश दिया था, बल्कि यह भी निर्देश दिया था कि यदि नियम ऐसा करने की अनुमति देते हैं, तो उन्हें वही लाभ दिया जाना चाहिए।

15. इस याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं पसंद किए गए रिट आवेदन के पहले दौर में विद्वान रिट कोर्ट द्वारा जारी किया गया निर्देश, वर्तमान मामले में शामिल मुद्दों का संकेत है। जैसा कि हमने पाया है कि 1997 के नियम एक अलग सेवा संवर्ग का निर्माण करते हैं, अर्थात्, बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग और याचिकाकर्ता, जिसे शुरू में सहायक नैदानिक रोगविज्ञानी के रूप में नियुक्त किया गया था, एक शिक्षण पद पर नहीं है और बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, उसे एसोसिएट प्रोफेसर आदि के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार नहीं ठहराया जा सकता है।

16. हम विद्वत रिट न्यायालय के आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं पाते हैं। लेटर्स पेटेंट अपील योग्यता से रहित है, इसलिए, इसे खारिज कर दिया जाता है लेकिन जुर्माने के रूप में किसी भी आदेश के बिना।

(राजेन्द्र मेनन, मुख्य न्यायाधीश)

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

पी. के. पी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।